

भवन निर्माण विभाग  
बिहार, पटना।

आदेश

आदेश सं0—भवन—13/अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग के आदेश, उनके

पत्रांक—240 दिनांक—11.10.2017 के विरुद्ध अपील दायर की गई है। संवेदक बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, जमुई बाजार, जमुई निबंधन संख्या—प्रथम (कंपनी)—24(भवन)/2014 द्वारा जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सिकन्दरा का निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक—25.08.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य की निविदा के निष्पादन के क्रम में वितीय बीड़ की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया की विषयांकित कार्य की निविदा के तीन निविदाकारों यथा (i) बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन कंपनी प्रा० लिमिटेड, जमुई (ii) अशोक एंड कंपनी निवास प्रा० लि०, जमुई तथा (iii) सुदेश कुमार सिंह एंड कंपनी कंसट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई द्वारा गैर अनुसूचित मद एवं अनुसूचित मद मे एक समान राशि उद्धृत किया गया है जो क्रमशः रु०—39,31,445/(उनचालीस लाख एकतीस हजार चार सौ पैतालीस रुपये) एवं रु०—5,90,67,750/(पाँच करोड़ नब्बे लाख सरसठ हजार सात सौ पचास रुपये) है। जिससे यह स्पष्ट होता है की तीनों निविदाकारों द्वारा समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लिया गया। गैर अनुसूचित दर मात्र संचिका में थी। इस तरह समीक्षोपरांत विभागीय निविदा समिति ने पाया कि तीनों निविदाकारों द्वारा निविदा की गोपनीयता को भंग किया गया है। उक्त के आलोक में संवेदक बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, से विभागीय पत्रांक—8570(भ०)दिनांक—20.09.17 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं पुनः विभागीय पत्रांक—8722(भ०) दिनांक—22.09.2017 द्वारा दिनांक—25.08.17 को हुई विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में संवेदक के निबंधन को निलंबन/कालीकृत करने से संबंधित गठित समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए कार्यालय आदेश संख्या—240 सह—पठित ज्ञापांक—9146(भ०) दिनांक—11.10.2017 द्वारा संवेदक बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, जमुई बाजार, जमुई निबंधन संख्या—प्रथम (कंपनी)—24(भवन)/2014 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक, बालकृष्ण भालोटिया द्वारा बताया गया कि

है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गैर अनुसूचित मद की राशि Private Computer Operator जमुई द्वारा बताया गया है। ऑपरेटर का नाम उनके द्वारा नहीं बताया गया।

सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गैर अनुसूचित मद में एक समान राशि उद्धृत करने और संचिका की जानकारी अनाधिकृत तौर पर प्राप्त की गई। इस कारण संवेदक बालकृष्ण भालोटिया द्वारा निविदा की गोपनीयता को भंग किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में अपीलार्थी को अभियंता प्रमुख के द्वारा सुनने के पश्चात् उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का फैसला यथोचित प्रतीत होता है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही सरकारी संचिका की जानकारी अनाधिकृत तौर पर होने के संबंध में अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग को जाँच के लिए कहा गया है, उनसे शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए अपर सचिव को लिखा जाए।

अपील आवेदन निष्पादित किया जाता है।

ह0/-  
(चंचल कुमार)  
प्रधान सचिव  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक—भवन—13/अभिप्र0(नि0)—03—निलंबन/कालीकृत—16/2017..... दिनांक—...  
प्रतिलिपि—संवेदक बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन प्रा० लिमिटेड, जमुई बाजार, जमुई (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
प्रधान सचिव  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक—भवन—13/अभिप्र0(नि0)—03—निलंबन/कालीकृत—16/2017..... दिनांक—30.11.17  
प्रतिलिपि—अभियंता प्रमुख/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना